R1-

समक्ष श्रीमान् प्रशासकीय सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक :- प्रस्तुत, दि. 18/01/2013

R 543-I/13

भूरा उर्फ संजयवल्द स्व. गनेश सनोड़िया आयु लगभग 45 वर्ष,
निवासी ग्राम हथनापुर, तहसील व जिला सिवनी ---पुनरीक्षण कर्ता

--- विरूद्ध ---

तामसिंह वल्द स्व. श्री प्रेमलाल सनोड़िया,
आयु लग. 55 साल, निवासी ग्राम हथनापुर,
रा.नि.मं. बण्डोल, तहसील व जिला सिवनी ---उत्तरदाता

क्रमांक 293
दिनांक 24-1-13 को प्राप्त

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

24-1-13

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बंडोल वृत्त सिवनी की न्यायालय के रा. प्रक्र. 02/अ-70/2008-09 तामसिंह विरूद्ध भूरा उर्फ संजय में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 29/11/2012 के विरूद्ध यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

संक्षेप में प्रकरण का सार

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता द्वारा धारा 250-क् म.प्र.भू.रा.संहिता के तहत कब्जा प्राप्ति बाबत् कार्यवाही की है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह अवगत कराया कि रामकुमारी एंव भागवती बाई सनोड़िया के कब्जे में आवेदनयुक्त भूमि है तथा उनके आधिपत्य एंव स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 233 ग्राम हथनापुर, प.ह.न 07/08 रा.नि.म बंडोल तह. व जिला सिवनी स्थित संपत्ति का संधारण राजस्व अभिलेखों, खसरा, नक्शा एंव री-नंबरिंग प्रक्रिया में छूट गया है जिससे पुनरीक्षणकर्ता की बहनों द्वारा धारित क्षेत्र कम हो गया है। जिनकी दुरुस्ती की कार्यवाही वर्ष 2008 से लंबित है लेकिन पटवारी प्रतिवेदन इत्यादि ना आने से प्रकरण में निराकरण नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की कार्यवाही उक्त संधारण के दुरुस्ती तक स्थगित रखी जाए।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन दि. 03/10/2012 आक्षेपित आदेश दि. 29/11/2012 के माध्यम से निरस्त कर दिया जिसके विरुध्द यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुनरीक्षण के आधार

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि एंव वैधानिक प्रक्रिया के गंभीर रुप से प्रतिकूल होकर निरस्ती योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से अभिलेखों के संधारण के दौरान छूटे भूमि खसरा नं. 233 की स्थिति अवगत कराने के बाबजूद भी प्रकरण में न्यायरक्षा को दृष्टिगत रख स्थगन ना करके वैधानिक त्रुटि की है, फलतः आक्षेपित आदेश निरस्ती योग्य है।
3. यह कि, भूखंड नं. 233 मौजा हथनापुर के अभिलेख दुरुस्ती एंव नक्शा

स्थान तथा दिनांक | पक्षकारों एवं अभिभाषक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.12.15	आवेदक को सूचना दी गई परन्तु कोई उप० नहीं हुआ। प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	